भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4426

दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग

4426. श्री मनोज तिवारी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री सी.पी. जोशी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन परियोजनाओं का ब्यौरा और नाम क्या हैं जिनके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग किया गया है और सरकारी क्षेत्र के पास उक्त कितनी निधि उपलब्ध है;
(ख) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/लोक निर्माण विभाग की उक्त निधियों के दुरूपयोग की जानकारी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा सीएसआर निधि के समुचित उपयोग के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में उपयोग की गई सीएसआर निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा किया गया सीएसआर व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	**सीपीएसईज़ की संख्या**	**व्यय (करोड़ में)**
2017-18	152	3442.38
2018-19	150	3873.32
2019-20	148	5066.93

सीपीएसईज़ का सीएसआर व्यय मोटे तौर पर स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों, पर्यावरणीय धारणीयता, कला एवं संस्कृति, खेल, ग्रामीण विकास और स्लम एरिया विकास आदि से संबंधित गतिविधियों पर किया जाता है।

(ख) और (ग): सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों से संबंधित योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। सीपीएसईज़ का सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिशासित होता है। सीएसआर व्यय के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी सीपीएसईज़ को इस संबंध में शिकायतों के निवारण या दुरुपयोग, यदि कोई हो, सहित कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली और कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सीएसआर नीति के अनुपालन में सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिशासित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई कॉन्क्लेव 2018 की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लोक उद्यम विभाग ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसईज़ को सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर व्यय पर प्रति वर्ष विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसईज़ के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाए।

(घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	व्यय की गई राशि (रूपए करोड़ में)
2017-18	558.32
2018-19	663.43
2019-20	47.63

*****